

श्री जगपाल सिंह : हाउस इस तरह नहीं चलेगा, उनको स्टेटमेंट देना पड़ेगा। हम हाउस नहीं चलने देंगे।

MR. DEPUTY-SPEAKER : I said, something will be done.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: Something must come.

श्री राम विलास पासवान : आज हाउस जितना शान्त है, कल उसना ही गर्म हो जाएगा।

MR. DEPUTY-SPEAKER : I repeat, something will be done.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: Tomorrow something must be done.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Yes, Mr. Rakesh.

श्री जगपाल सिंह : होम मिनिस्टर सहाब को स्टेटमेंट देना पड़ेगा।

AN HON. MEMBER : If tomorrow something is not done by the Minister something will be done by us.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : Yes, Sir, you have settled the case.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Don't presuppose anything.

We can do a lot through goodwill but not through ill-will.
(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER : We can do a lot through goodwill. I want that goodwill from all the Hon. Members to run the House.
(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER : As a special case, we have allowed.

(ix) PROBLEM OF GOVERNMENT EMPLOYEES IN GETTING RATION CARDS ON SHIFTING ACCOMMODATION.

श्री आर० एन० राकेश (चैल) : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो सर्वविदित है कि सरकारी कर्मचारियों को 15-20 वर्ष की सेवा करने के पश्चात भी सरकारी क्वार्टर नहीं मिल पाते और उनमें से अधिकांश कर्मचारी किसी-न-किसी सरकारी कर्मचारी जिसको क्वार्टर आबंटित हुआ होता है, के साथ रहते हैं। साथ ही उन्हें बार-बार अपना निवास स्थान बदलना पड़ता है लेकिन जब वे अपना राशन कार्ड बदलवाने के लिए राशन कार्यालय में जाते हैं तो उनसे संपदा निदेशालय से सबलेटिंग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है अन्यथा उसका राशन कार्ड नहीं बदला जायेगा। लेकिन संपदा निदेशालय इस आशय का कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं करता है। ऐसे कर्मचारियों को विवश हो कर ऊंचे मूल्यों पर बाजार से राशन लेना पड़ता है। यही स्थिति बाहर से स्थानान्तरित हो कर आने वाले सरकारी कर्मचारियों के साथ भी है। उनके पास पिछले कार्ड स्थान से राशन कार्ड जमा करने का प्रमाण पत्र होने के बावजूद उन्हें राशन कार्ड जारी नहीं किया जाता है।

अतः पूर्ति मंत्री से मेरा अनुरोध है कि या तो सबलेटिंग का प्रमाण पत्र संपदा निदेशालय से दिलवाने की व्यवस्था करें या राशन कार्यालयों को निदेश दिए जाएं कि वे पहले की भांति मकान आबंटिती की पर्ची के आधार पर ही राशन कार्ड बदलें अथवा नया कार्ड जारी करें ताकि ऐसे कर्मचारियों को इन कठिनाइयों से राहत मिले।